भूकम्प के बाद गुजरात

प्रकाश लुईस

गुजरात में भूकम्प ने हज़ारों लोगों की जान ले ली; बहुत तो अभी भी गिनती में शामिल नहीं हो सके हैं। सेना और विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं ने ही बचाव और राहत कार्यों की पहल की थी लेकिन पुनर्निर्माण की भारी ज़िम्मेदारी अब सरकार पर आन पड़ी है। एक स्थाई सुदृढ़ भविष्य के पुनर्निर्माण के इस कार्य को जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए पारदर्शिता के साथ सम्पन्न करना होगा।

गुजरात, खासकर इसके कच्छ क्षेत्र में जो भूकम्प आया वह अपने पीछे बरबादी तथा मौत का आलम छोड़ गया है। इसने 70 प्रतिशत से ज़्यादा रिहायशी इलाकों को ज़मींदोज़ कर दिया। राहत और पुनर्वास की धीमी तथा सुस्त प्रक्रिया ने भुक्तभोगियों के मन में इस भय को और गहरा ही किया है कि उनके दुखों का अन्त अभी भी नहीं हुआ है। आम समय में तो जातिगत आधार पर होने वाले दुरावों तथा सामाजिक भेदभावों को सामान्य चलन मान लिया जाता है लेकिन आपदा के वक्त भी सामाजिक तथा धार्मिक भेदभाव का क्रूर चेहरा सामने आया है।

1991 की जनगणना के अनुसार गुजरात की जनसंख्या लगभग 4.13 करोड़ थी। यह दुखद तथ्य है कि मुख्यतः अल्प और गलत बचाव व राहत कार्यों के चलते भूकम्प प्रभावित पांच ज़िलों में इसकी मार को सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी ने ही झेला है।

सबसे असहाय तबका

यहां पर जनसंख्या के उन असुरक्षित व असहाय वर्गों पर नज़र डालना सामयिक होगा जो सरकारी तंत्र की राजनैतिक इच्छाशक्ति की कमी और कुछ राहतकर्मियों के जातिगत भेदभाव की वजह से सबसे ज़्यादा पीड़ित रहे। भूकम्प प्रभावित ज़िलों में अनुसूचित जाति अथवा दलितों की जनसंख्या राज्य औसत से ज़्यादा है।

भूकम्प के केन्द्र कच्छ में अनुसूचित जाति की आबादी सबसे ज़्यादा है। यहां आदिवासियों तथा अल्पसंख्यकों की आबादी भी बहुत है। कच्छ में दलितों की संख्या

(12.06 प्रतिशत) राज्य औसत (7.41 प्रतिशत) से बहुत ज़्यादा है। कच्छ में कुछ अन्य ज़िलों की तुलना में आदिवासियों की संख्या भी उल्लेखनीय है परन्तु यह राज्य औसत से काफी कम है।

साक्षरता दर के संदर्भ में भी, भूकम्प प्रभावित ज़िलों का स्थान गुजरात के अन्य क्षेत्रों की तुलना में काफी पीछे है। गुजरात की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है। गुजरात के दलितों एवं आदिवासियों में साक्षरता दर क्रमशः 61 तथा 36.45 प्रतिशत है। भूकम्प से बुरी तरह प्रभावित ज़िलों में यह दर काफी कम है। एकमात्र अपवाद अहमदाबाद ज़िला है क्योंकि यह गुजरात की आर्थिक राजधानी है।

भूकम्प से हुई क्षति का आकलन होना अभी बाकी है। कुल 16,927 लोग मारे गए जिनमें से 16,758 मृतक उपरोक्त पांच ज़िलों से थे। राज्य सरकार का अनुमान 30,000 मौतों का है। लेकिन क्षेत्र का सघन दौरा करने के बाद रक्षामंत्री ने घोषणा की कि मृतकों की संख्या एक लाख से ज़्यादा हो सकती है।

सरकार ने घोषणा की है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को 35,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। अन्य लोगों के लिए सहायता का पैकेज 50 हज़ार रुपए से 1.75 लाख रुपए तक है। इस सरकारी घोषणा से आशय यह कि गरीब व असहाय लोगों को अधिकतम इंदिरा आवास योजना का लाभ मिलेगा जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को मकान बना कर दिए जाते हैं। ऐसे मकान बनाने की प्रक्रिया में व्याप्त भ्रष्टाचार के चलते दो या तीन सालों में ये मकान रहने लायक नहीं रह जाते।

अट्ठारवीं सदी के आरम्भ से आज तक कच्छ में भूकंपीय गतिविधियों का एक लम्बा इतिहास रहा है। यहां पर 1819, 1844, 1869 तथा 1956 में भूकम्प आ चुके हैं। कच्छ के रन में 16 जून 1819 को आया भूकम्प सबसे विनाशकारी माना जाता है। इसकी मार सबसे ज़्यादा भुज तथा अंजड़ शहर पर पड़ी थी।

कच्छ ज़िले का क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का 22.27 प्रतिशत है लेकिन जनसंख्या के मामले में यह पांचवां सबसे छोटा ज़िला है। ज़िले के भीतर भुज तथा अंजड़ को छोड़कर अन्य सभी विकासखण्डों की जनसंख्या मध्यम स्तर की ही है। ज़िले के कुल 884 गांवों में से 68 गांवों में ही जनसंख्या घनत्व अधिक है।

भेदभाव के आरोप

कुछ अपुष्ट रिपोर्टों में कहा गया है कि कच्छ के अधोई, चोबारी, माई और मनफारा गांवों में सहायता सामग्री के वितरण में भेदभाव बरता गया है। दलित, कोली, रबाड़ी और मुस्लिम समुदायों ने शिकायत की है कि शक्तिशाली और प्रभावशाली जातियों ने भोजन, कम्बल, टेंट व नकद राशि हड़प ली है।

कच्छ ज़िले का सामाजिक विवरण उल्लेखनीय है। गुजरात में दलितों की 30 उपजातियां हैं। गुजरात के दलितों में 41.46 प्रतिशत जनसंख्या के साथ वनकर उपजाति सबसे प्रमुख है। लेकिन कच्छ में मेघवाल सबसे बड़ी दलित उपजाति है जो ज़िले की दलित जनसंख्या का 71.38 प्रतिशत तथा ज़िले की कुल जनसंख्या का 8 प्रतिशत है। मेघवालों में 41.96 प्रतिशत लोग खेतिहर मज़दूर हैं और लगभग 12.24 प्रतिशत लोग चमड़े के सामान बनाने के अपने पारम्परिक धंधे में लगे हैं। इस प्रकार दलित लोग उच्च जातियों पर निर्भर हैं।

गुजरात में 29 आदिवासी उपसमूह हैं। कच्छ में कोली एकमात्र जनजाति है। राज्य की कोली जनसंख्या का 70.68 प्रतिशत यहीं रहता है। ज़िले में अगला असुरक्षित समूह रबाड़ियों का है जो गड़रिए हैं; ये पशु चराने वाले घुमन्तु समुदाय हैं।

मण्डल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में अन्य पिछड़ी जातियां (ओ.बी.सी.) 105 छोटे समूहों में विभक्त हैं। कच्छ में अन्य पिछड़ी जातियों के सबसे बड़े समूह लवाना तथा अहीरों के हैं। ये अन्य पिछड़ी जाति के क्रमशः 9 और 8 प्रतिशत के करीब हैं। मुसलमान 19 प्रतिशत हैं। ज़िले में सबसे बड़े उच्च जाति समूह पटेल और दरबार या राजपूत हैं जो जनसंख्या का क्रमशः लगभग 13 और 9 प्रतिशत हैं।

सौराष्ट्र के अधिक पिछड़े तथा सूखाग्रस्त क्षेत्रों की तुलना में कच्छ की स्थिति काफी अच्छी है। कच्छ से लोग अपेक्षाकृत समृद्ध क्षेत्रों में ही पलायन करते हैं। कच्छ

सरकार को चाहिए कि वह एक कानून बनाकर ज़मीन से बेदखल करने, बेचने तथा हस्तांतरित करने की प्रक्रिया को अगले दो सालों के लिए रोक दे। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, घुमंतु आदिवासियों तथा सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों को ज़मीन से बेदखल होने से बचाया जाना चाहिए।

में राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से पलायन करके आए मज़दूर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। इनमें से काफी लोग इस भूकम्प में मारे गए हैं। वे कारखाने जिनमें वे काम कर रहे थे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। जीवित बचे लोग अपनी रोज़ की आमदनी से भी हाथ धो बैठे। उनके पास घर लौटने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे और उन पर दबाव डाला गया कि वे कारखाने के आसपास ही रहें। चूंकि राहत कार्य मुख्यतः शहरों व गांवों में किया जाता रहा है अतः कारखानों में या उनके आसपास रह रहे मज़दूर वहीं छूट गए। समर्पित स्वयंसेवी संस्थाओं के एक समूह को उस क्षेत्र में राहत कार्य करने के 15 दिनों बाद इस तथ्य का पता चला।

इस भूकम्प ने एक बार फिर हमारी सामाजिक-राजनैतिक व्यवस्था की जर्जरता और नाकामी को उजागर किया है। छोबरी गांव के धीरूभाई साह कच्छ ज़िले के रापर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। वे गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं। भूकम्प के 17 दिन बाद जब यह संवाददाता उस गांव के दलित क्षेत्र में गया तो उसे बताया गया कि विधायक अभी तक क्षेत्र में नहीं आए हैं। गुजरात सरकार की ओर से पहले प्रतिनिधि के रूप में उस दलित क्षेत्र में दौरा करने वाले व्यक्ति थे फकीर भाई बघेल, जो सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री हैं और स्वयं दलित वर्ग से हैं। वे उस भयावह त्रासदी के 17वें दिन इस गांव में आए और मुख्यमंत्री के उल्लेखनीय राहत कार्य की उदारतापूर्वक प्रशंसा करते रहे। दलित युवाओं ने उनसे घर बनाने के लिए भूमि दिलाने का आग्रह किया क्योंकि वे अहीर लोगों की ज़मीन पर डेरा डालकर रह रहे थे और मॉनसून में खेती शुरू होते ही उन्हें वह ज़मीन छोड़नी थी। मंत्री महोदय ने उन्हें कोई आश्वासन तक न दिया।

कुछ व्यक्तियों, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा संगठित क्षेत्र ने मिलकर गांवों तक खाना, टेन्ट और चिकित्सीय सामग्री जैसी राहत सहायता पहुंचाई। कच्छ ज़िले के लखरीया तथा मनफारा के लोग भेदभाव आधारित सहायता कार्य से बहुत दुखी हैं। मनफारा मुख्यतः मुसलमान और आदिवासी बहुल गांव है। इस गांव में लगभग 47 प्रतिशत आदिवासी तथा 21 प्रतिशत मुसलमान हैं। यह गांव सड़क के नज़दीक होने के बावजूद सरकार से कोई राहत नहीं प्राप्त कर सका है। चूंकि इन दो वर्गों के लोग गुजरात राज्य के वर्तमान समीकरण में प्राथमिक स्थान पर नहीं हैं, अतः अचरज नहीं कि भूकम्प के 17 दिनों बाद भी इन्हें सरकार से कोई सहायता नहीं मिली थी। और तो और, गांवों में जाने वाले अधिकारीगण ग्रामीणों से 'दस्तावेज़ी प्रमाण' की मांग करते हैं। इसके जवाब में एक ग्रामीण अपने उस मकान की ओर इशारा कर देता है जिसके मलबे तले उसकी छोटी-मोटी घरेलू चीज़ों के साथ उसका राशन कार्ड भी दफन है। दलितों को अछूत के रूप में देखा जाता है। उच्च जातियों की समाज-संकल्पना में अक्सर इनके लिए कोई स्थान नहीं होता। यदि कोई सजग सरकारी अधिकारी किसी दलित गांव में जाना भी चाहता है तो वहां तक पहुंचने के लिए सड़कें नहीं हैं।

बचाव व राहत कार्य

चाहे अहमदाबाद हो या कच्छ के ग्रामीण क्षेत्र, बचाव और राहत कार्यों में लगने वाले सबसे पहले स्वयंसेवी संस्थाओं के लोग ही आगे आए। कच्छ ज़िले के गांधीधाम के लोगों ने इस तथ्य पर बारम्बार ज़ोर दिया। राजकीय तंत्र ने तो प्रभावित गांवों की पहचान करने में ही पूरे तीन दिन लगा दिए थे।

भूकम्प प्रभावित लोगों ने सांत्वना और सहयोग के लिए सरकार का मुंह तकना छोड़ दिया है। जीवित दबे लोगों को मलबे से निकालना, मलबा साफ करना, मृत व्यक्तियों का अंतिम संस्कार करना, संचार तंत्र व

परिवहन संरचना की मरम्मत तथा सहायता कार्यों की शुरुआत करना आदि जैसे सेना द्वारा किए प्रशंसनीय कार्यों की वजह से उसे खूब वाहवाही मिली है। लेकिन जहां सेना की भूमिका की इसलिए तारीफ की जाती है कि उसने संकट से उबरने में राज्य की सहायता की वहीं आपात अवस्था में बार-बार सेना के उपयोग के दूरगामी सामाजिक-राजनैतिक परिणाम हो सकते हैं। सैन्य बलों के बार-बार के उपयोग को इस रूप में देखा जा सकता है कि राज्य इस तरह की त्रासदियों से प्रभावित लोगों के बचाव और पुनर्वास की अपनी ज़िम्मेदारी छोड़ चुका है।

प्रारंभिक हताशा के बाद, बड़ी संख्या में गैर सरकारी संगठन राहत व पुनर्वास के काम में कूद पड़े। सरकारी तंत्र द्वारा अपना काम शुरू करने से पहले ये संस्थाएं अंतरिम समय में सहायता देने का काम कर सकती हैं। पंचायत और स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं राहत और पुनर्वास के काम कर सकती थीं। परन्तु राजनैतिक कारणों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़ी आसानी से राज्य के पंचायत चुनाव को स्थगित कर दिया था जिसे मई 2000 से पूर्व ही सम्पन्न हो जाना था। यदि पंचायत चुनाव हो गए होते तो राज्य के पास 1 लाख 30 हज़ार जनप्रतिनिधि स्थानीय स्वशासन के स्तर पर सामुदायिक विकास कार्य के लिए उपलब्ध होते।

भूकम्प से प्रभावित लोगों की सबसे बड़ी ज़रूरतों में से एक है स्थाई आवासों के बनने से पहले एक अर्धस्थाई आवास की व्यवस्था। इस संदर्भ में सुरक्षित स्थान और स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से बने सुरक्षित आवास बहुत ज़रूरी हैं। लातुर और उस्मानाबाद के अच्छे और बुरे अनुभवों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। पुनर्वास और पुनर्निर्माण के कार्य में प्रभावित लोगों की सामाजिक-सांस्कृतिक संवेदनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। लोग ठीक उसी स्थान पर घर नहीं बनाना चाहते हैं जहां पहले उनके घर हुआ करते थे। उनकी भावना यह होती है कि हम ठीक उसी स्थान घर बसाना नहीं चाहते जहां हमारे प्रियजन हमारी आंखों के सामने ही जीवित दब गए थे। यदि उनकी इस भावना की कद्र की जाए तो पुनर्निर्माण के लिए प्रत्येक बसाहट, गांव तथा टोले में नई ज़मीन का चयन करना पड़ेगा। घर बनाने के लिए सार्वजनिक भूसंपत्ति का इस्तेमाल कतई नहीं किया जाना चाहिए। सरकार के लिए सही और वैधानिक कदम यह होगा कि वह उस ज़मीन को, जो पहले सार्वजनिक भूसम्पत्ति हुआ करती थी और जिसे धनी लोगों ने हथिया लिया था, को वापस ले। सिर्फ वहीं पर जहां घर बनाने के लिए कोई ज़मीन उपलब्ध नहीं है, अंतिम उपाय के रूप में घरों के पुनर्निर्माण के लिए सार्वजनिक सम्पदा का उपयोग किया जाना चाहिए। ज़मीन की खरीद व बिक्री में समाज के ताकतवर और प्रभावशाली लोगों द्वारा हेराफेरी किए जाने की सम्भावना है। सरकार को चाहिए कि वह एक कानून बनाकर ज़मीन से बेदखल करने, बेचने तथा हस्तांतरित करने की प्रक्रिया को अगले दो सालों के लिए रोक दे। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, घुमंतु आदिवासियों तथा सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों को ज़मीन से बेदखल होने से बचाया जाना चाहिए।

व्यक्तिगत दान तथा टैक्स सरचार्ज सहित राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से प्राप्त धन को सुरक्षित फण्ड के रूप में अलग रखा जाना चाहिए तथा उसी उद्देश्य के लिए खर्च किया जाना चाहिए जिसके लिए इसे इकट्ठा किया गया है। सम्पूर्ण वित्तीय क्रियाकलापों में पारदर्शिता होना अत्यन्त आवश्यक है। एक निश्चित अन्तराल में विस्तृत एकाउण्ट जनता के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। राज्य और सिविल सोसायटी दोनों के सामने गुजरात के भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण का काम एक वृहत चुनौती की तरह खड़ा है। गुजरात ने पिछले दो सालों में सात त्रासदियां झेली हैं- दो सूखे, दो चक्रवात, दो बाढ़ें और एक भूकम्प। राज्य के सामने एक भयंकर सूखे की समस्या खड़ी है। जीवन के हर क्षेत्र के लोगों ने जो सदाशयता और संवेदनशीलता प्रदर्शित की है वही गुजरात के पुनर्निर्माण का मूल संसाधन है। वर्तमान गुजरात सरकार को अपना सब कुछ लगाकर पर्यावरणीय, आर्थिक तथा सामाजिक-राजनैतिक रूप से स्थाई संरचनाओं का पुनर्निर्माण करना होगा। ***(स्रोत फीचर्स)***